न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

रेस्टोरेशन प्रकरण क्रमांक /2014 जिला–बिदिशा

सत्तार कुरैशी पुत्र वरकत कुरैशी निवासी ग्राम अजीज पुर तहसील वासौदा जिला बिदिशा (म.प्र.) ...... प्रार्थी.

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला–बिदिशा

...... प्रतिप्रार्थी

मानीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण क्रमांक 179– III /03 अपील में पारित आदेश दिनाक 30–12–2013 के विरूद्व मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 9 नियम 32 के अधीन आवेदन पत्र।

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से आवेदन सविनय निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

(1) यहकि, प्रार्थी ग्राम अजीज पुर में स्थित भूमि क्रमाक 17 एवं 20 का पट्टा आवेदक के हित में [illegible] किये जाने बावत् आवेदन पत्र तहसीलदार बिदिशा के समक्ष आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिसपर ग्राम पंचायत [illegible] द्वारा प्रस्ताव दिनांक [illegible]–12–2000 पारित कर मान्य किया था के उक्त भूमि को पट्टा आवेदक को किया जाता है तो ग्राम पंचायत को इसपर कोई आपत्ति नहीं है

(2) यहकि, ग्राम पंचायत के प्रस्ताव एवं तहसीलदार बासौदा द्वारा उक्त प्रस्ताव के आधार पर भूमि को काविल कास्त घोषित किया जाना उचित माना जाकर अपना प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी बासौदा के और प्रेषित किया गया था और अनुविभागीय अधिकारी बासौदा द्वारा तहसीलदार के प्रतिवेदन पर अनुशंसा की गयी थी इसके बाद कलेक्टर जिला बिदिशा द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–09–2001 से आदेश पारित कर उक्त भूमि की नोईयत परिवर्तन आवेदन निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया जबकि तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक के हित में प्रतिवेदन दिये गये थे इस प्रकार प्रतिवेदन के विरूद्व आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए था।

(3) यहकि, कलेक्टर जिला बिदिशा के आदेश के विरूद्व आवेदक द्वारा अपर आयुक्त भोपाल के समक्ष अपील प्रकरण क्रमाक 22/01-02 प्रस्तुत की गई थी जो पारित आदेश दिनांक 31–12–02 से निरस्त की गयी तत्पश्चात् माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी जो पारित आदेश दिनांक 30–12–13 से अपीलार्थी के उपस्थित नहीं होने के आधार पर प्रकरण का निराकरण गुण दोषों के आधार पर किया जाकर अपील निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया है जिसके विरूक्ष माननीय न्यायालय के समक्ष पुनः [illegible] रेस्टोरेशन आवेदन पत्र उपरोक्त तथ्यों के अतिरिक्त निम्नंलिखित आधारो पर प्रस्तुत किया जा रहा है

रेस्टोरेशन आवेदन पत्र के आधार

(1) यहकि, अधीनस्थ न्यायालयों एवं माननीय न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपवधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

क्रमांक रेस्टोरेशन 1102–एक / 14 जिला विदिशा

तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–4–2014	आवेदक अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित । अनावेदक शासन की ओर से श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा पेनल लॉयर उपस्थित । उभय पक्ष रेस्टोरेशन आवेदन पर सुना । 2– रेस्टोरेशन प्रकरण के संलग्न मूल प्रकरण का अवलोकन किया गया । मूल प्रकरण में दिनांक 30–12–13 को अंतिम आदेश पारित हो चुका है, जिसके विरूद्ध रेस्टोरेशन में सुनवाई के कोई आधार नहीं होने से प्रथमदृष्टया यह रेस्टोरेशन प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । **प्रशासकीय सदस्य**	